भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1478

28 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कोहिमा, नागालैंड में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण

1478. श्री तोखेहो येपथोमी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोहिमा, नागालैंड में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसे कार्यशील बनाने के लिए निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से सम्बद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें ऐसे अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिसमें पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझा की जाती है। योजना के तहत, तीन चरणों में 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिसमें नगालैंड के कोहिमा और मोन में 02 मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना की प्लानिंग, निष्पादन और प्रारंभ राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

योजना के चरण- I के तहत कोहिमा में सरकारी मेडिकल कॉलेज को 189 करोड़ की कुल स्वीकृत लागत पर मंजूरी दी गई थी और केंद्रीय हिस्से के 170.10 करोड़ रुपये राज्य सरकार को पहले ही जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से मेडिकल कॉलेज को 100 सीटों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे दी है।

*****